पैदावार की दृष्टि से कोई परीक्षण किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, बशर्ते कि भू-प्रकति की विशेषताएं और कृषि परिस्थिति की दशाओं से संबंधित आधारभूत आंकड़े प्रथम दृष्टि में उपयुक्त पाये जाएं।

Restructuring of R.R.B's

*352. **SHRI BHUBANESWAR KALITA:**
SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Regional Rural Banks have suffered an accumulated loss of Rs. 300 crores of account of administrative expenses and being debarred from any banking transactions; and

(b) if so, whether Government propose to restructure the Regional Rural Banks?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) In terms of Regional Rural Banks Act, 1976 every Regional Rural Bank is to carry and transact the business of banking as defined in Banking Regulation Act, 1949. However, the RRBs are required to undertake, in particular, the granting of loans and advances, to small and marginal farmers and agricultural labourers, artisans, small entrepreneurs and persons of small means within their areas of operation. The accumulated losses of RRBs as at the end of March, 1991 were reported as Rs. 363.91 crores. The reasons for losses of RRBs are attributable to several factors like restriction on the choice of clientele, limited area of operation, low interest margin, mounting establishment costs particularly after implementation of award of the National Industrial Tribunal etc. The reorganisation of the rural credit delivery system including restructuring of the RRBs is under consideration. However, no decision has so far been taken in this regard.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करना

*353. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, 9 मार्च 1992 के "दी इकॉनामिक टाइम्स" में "एफ०एम० होपफुल आफ गटिंग 3 बिलियन डालर फ्राम आई०एम०एफ०, अदर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार अगले वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की नियमित और सरल उपलब्धि के अतिरिक्त 3 बिलियन डालर और ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी;

(ग) यदि हां, तो उक्त ऋण प्राप्त करने के बाद देश पर अनुमानतः कुल कितने विदेशी ऋण की देनदारी होगी;

(घ) क्या सरकार, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए, जो लम्बे समय से निर्माणाधीन चल रही हैं, उनके लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली ठोस कार्यवाही की रूपरेखा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) वित्त वर्ष 1992-93 के लिए विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं का हिसाब अभी लगाया जा रहा है। तथापि, उनका अनन्तिम अनुमान लगभग 3 बिलियन डालर है और इन आवश्यकताओं को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साधनों से पूरा करने संबंधी उपायों को भारत सहायता संघ की जून, 1992 में होने वाली बैठक में अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) यह बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभिकरणों से प्राप्त ऋण की राशि पर निर्भर करेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयकर का अपवंचन

*354. **श्रीमती वीणा वर्मा:**
श्री कपिल वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आयकर का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की